कार्यालय आदर्श नगर पंचायत निचलौल जनपद – महराजगंज

पत्रांक /न0पं0नि0/ई.नि.सू./2018–19 दिनांक– 15.2.2019

अल्पकालीन ई– निविदा सूचना

नगर पंचायत निचलौल के पंजीकृत ठेकेदारो को सूचित किया जाता है कि पं0 दीननदयाल उपाध्याय, / राज्य वित्त आयोग/14वां वित्त आयोग के प्राप्त धनराशि से निर्माण कार्य कराने व रजिस्टर्ड फर्म/अधिकृत डीलर से सामाग्रियों की आपूर्ति हेतु (टेक्निकल एंव फाईनेन्शियल) निविदा निम्नलिखित विवरण के अनुसार **www.etender.up.nic.in** आनलाईन के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा को बेवसाईट **www.etender.up.nic.in** से डाउनलोड किया जा सकता है। ई– निविदाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय नगर पंचायत निचलौल, महराजगंज से कार्यालय समय व दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

1	वेबसाईट पर ई– निविदा प्रकाशन की तिथि/समय	18.02.2019 (पूर्वाहन 10.00 बजे)	
2	ई–निविदा डाउनलोड की प्रारम्भ तिथि/समय	18.02.2019 (अपराहन 5.00 बजे).	
3	ई– निविदा अपलोड की प्रारम्भ की तिथि/समय	18.02.2019 (अपराहन 5.00 बजे)	
4	ई– निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/समय	26.02.2019 (अपराहन 1.00 बजे)	
5	ई– निविदा खोली जाने की तिथि/समय	27.02.2019 (अपराहन 12.00 बजे)	

(क) पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से प्राप्त धनराशि–

क0 सं0	कार्य/स्थल का नाम	आगणन धनराशि	ई–निविदा के साथ 2% जमानत धनराशि	ई–निविदा स्वीकृति के पश्चात 8% जमानत धनराशि	निविदा फार्म का मूल जी.एस.टी. सहित	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	अभिमन्यू वर्मा के मकान से भागवत के मकान तक आर.सी.सी रोड, इन्टरलाकिंग/नाली निर्माण कार्य।	2500000.00	50000–	2,00,000–	(300+500 +144= 944.00	दो माह
2	पराग नमक के दुकान से जगदीश हलुवाई की मकान तक इन्टरलाकिंग/ आर. सी.सी. रोड एंव नाली निर्माण कार्य।	2500000.00	50000–	2,00,000–	(300+500 +144= 944.00	दो माह
(ख) राज्य वित्त आयोग –						
1.	वार्ड नं0–12 में श्री कमरूद्दीन के खेत से अमीन के खेत तक इण्टरलाकिंग/नाली निर्माण कार्य।	1150000.00	23000.00	92000.00	300+500 +144 =. 944.00	दो माह

(ग)	14वां वित्त आयोग –					
1	चिउटहां रोड श्री राधेश्याम के घर से पुलिया ड्रेन तक नाला निर्माण कार्य।	3830000.00	76600.00	306400.00	500+500 +180 = 1180	दो माह
2	वार्ड नं0–05 में अन्त्येष्ठि स्थल का बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	1500000.00	30000.00	120000.00	300+500 +144 = 944	दो माह

<u>समाग्री आपूर्ति हेतु</u>

(क) 14वां वित्त आयोग के प्राप्त धनराशि से –

क्र0 सं0	समाग्री का नाम	मात्रा	जमानत धनराशि 2% + 8% = 10%	निविदा मूल्य (निविदा मूल्य+स्टेशनरी चार्ज+जी.एस.टी.	आपूर्ति करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	सीमेन्ट पाईप 8 इन्च सीमेन्ट पाईप 10 इन्च सीमेन्ट पाईप 12 इन्च	50 फिट 50 फिट 50 फिट	निविदा में दिये गये दर के अनुसार	100+500+108 = 708.00	एक पक्ष
2	ज्वाइंट 8 इंच ज्वाइंट 10 इंच ज्वाइंट 12 इंच	12 पीस 12 पीस 12 पीस			
3	पी0वी0सी0 पाईप 3 इंच	200 फिट			
	पी0बी0सी0 साकिट 3 इंच	50 फिट			

<u>निर्माण कार्य हेतु नियम व शर्ते</u>

1. निर्माण कार्य हेतु जमानत धनराशि कुल आगणन धनराशि का 10% देना होगा।
2. निविदा प्रपत्र साथ 2% व ई–निविदा स्वीकृति के पश्चात् कार्यादेश के पूर्व 8% एफ0 डी0आर0,किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र या नगद जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत निचलौल के पक्ष में बन्धक के रूप में जमा करना होगा।
3. पंजीकृत ठेकेदार/निविदादाता को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वंय से हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण–पत्र व हैसियत प्रमाण–पत्र की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
4. निर्माण कार्य स्वीकृत आगणन /मानक के अनुसार करना होगा।
5. निविदादाताओं को नियमानुसार स्वय के व्यय पर अनुबन्ध पत्र करना होगा। विना अनुबन्ध किये कार्यादेश जारी नही किया जायेगा।
6. अवर अभियन्ता नगर पंचायत निचलौल के देख रेख में निर्माण कार्य करना होगा।
7. विना कारण बताये एक या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष नगर पंचायत निचलौल में निहित होगा।
8. विना अनुमति के ठेकेदार द्वारा आगणन से अधिक कार्य नही कराना होगा, यदि अधिक कार्य करता है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। नगर पंचायत निचलौल की कोई जिम्मेदारी नही होगी। और न ही उसका भुगतान किया जायेगा।

9. कराये गये कार्यों में यदि गुणवत्ता खराब होने अथवा होने ठेकेदार के लापरवाही एंव तकनीकी त्रुटि के कारण कोइ क्षति होता है तो कराये गये कार्य के समाप्ति के 05 वर्ष के अन्दर सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा उसका रख–रखाव किया जायेगा। कार्य में प्रयुक्त इण्टरलाकिंग ईटो एंव सामाग्री ईटो के नमूने का परीक्षण अवर अभियन्ता से कराकर ही उसका प्रयोग किया जायेगा।
10. ठेकेदार को स्वंय शपथ पत्र जो 100.00 रूपये की स्टाम्प पेपर पर नोटरी, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। जिस पर नवीनतम पासपोर्ड साईज का फोटोग्राफ जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो संलग्न किया जायेगा। (शपथ पत्र हेतु प्रारूप कार्यालय नगर पंचायत निचलौल से प्राप्त किये जा सकते है जो 14 विन्दु पर हैं)
11. निविदा प्रपत्र के साथ नगर पंचायत निचलौल द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
12. किसी भी नियमो/शर्तो में संशोधन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
13. उक्त कार्यों में यदि अधिक विल प्राप्त होता है तो उसका भुगतान राज्य वित्त आयोग के प्राप्त धनराशि से किया जायेगा।
14. ठेकेदार द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्य के प्रत्येक कार्य पर 1000.00 रू0 का चालान द्वारा श्रम प्रवर्तन अधिकारी महराजगंज के कार्यालय में कार्य का पंजीयन के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
15. सशर्त निविदाए स्वीकर नही की जायेगी।
16. आगणन धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जी0एस0टी0 एंव लेवर शेष की धनराशि नगर पंचायत द्वारा अतिरिक्त देय होगा।
17. मानक के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य न करने पर भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत यह कृत्य अपराध माना जायेयगा तथा ठेकेदार/फर्म के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
18. स्वीकृत कार्यस्थल पर ठेकेदार द्वारा बोर्ड लगाया जायेगा, जिसपर कार्य का नाम प्रारम्भ एंव समाप्ति की तिथि आदि उल्लेख किया जायेगा।
19. ठेकेदार द्वारा जी.एस.टी. चालान कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
20. ठेकेदार को कार्य से पूर्व व समाप्ति के उपरान्त का फोटो कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
21. फर्म/ठेकेदार जिनको पूर्व में कार्यादेश जारी किया गया है किन्तु उनके द्वारा अब तक कार्य पूर्ण नही किया गया है तो उनके द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
22. किसी भी फर्म/ठेकेदार या उसके सहयोगी द्वारा विविदा कार्यमें व्यवधान, अभद्रता दुव्यवहार इत्यादि करने पर सम्बन्धित को काली सूची में करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाना में अंकित करायी जायेगी।

सामाग्रीयो के आपूर्ति हेतु नियम व शर्ते

1. ई–निविदा प्रपत्र के साथ फर्म/आपूर्तिकर्ता को जी.एस.टी. पंजीयन व अधिकृत डीलर प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. ई–निविदा प्रपत्र में सामाग्रीयों के कम्पनी का नाम लिखना होगा।
3. स्वीकृत निविदादाता फर्म/आपूर्तिकर्ता एवं अपने व्यय से सामाग्रियों की आपूर्ति करेंगें।
4. विलम्ब से प्राप्त निविदा प्रपत्र पर विचार नही किया जायेगा।

5. अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण निविदा स्वतः निरस्त समझे जायेगें।
6.. किसी भी ई–निविदा को विना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष नगर पंचायत निचलौल में निहित होगा।
7.. सामाग्रियों का दर प्रति अद्द/ प्रति फिट आदि के दर से निविदा पत्र में अंकित करना होगा।
8.. सामाग्री की गुणवत्ता के सत्यापन के पश्चात् ही सन्तोषजनक पाये जाने पर भुगतान किया जायेगा।
9.. अलग से कोई कर देय नही होगा।
10.. आपूर्तिकर्ता को वाहन से सम्बन्धित समस्त कागजात वाहन आपूर्ति के साथ देना अनिवार्य होगा।
11. डीलर/आपूर्तिकर्ता को चरित्र प्रमाण– पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत निचलौल
महराजगंज

अध्यक्ष
नगर पंचायत निचलौल
महराजगंज

पत्रांक 734(10)/न0पं0नि0/2018–19/तद्दिनांकित
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सेवा में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदय जनपद–महराजगंज
2. प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय–महराजगंज।
3. अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग महराजगंज।
4. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका महराजगंज व नौतनवा
5. अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत आनन्दनगर,घुघुली,सिसवा बाजार,सोनौली, जनपद–महराजगंज।
6.. प्रभारी अधिकारी एन.आई.सी. महराजगंज को इस आश्य से प्रेषित कि इस विज्ञापन को वेवसाइड **www. Maharajganaj nic.in**पर डालने की कृपा करें।
7. अवर अभियन्ता (नामित) नगर पंचायत निचलौल, महराजगंज।
8.. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत निचलौल
महराजगंज

अध्यक्ष
नगर पंचायत निचलौल
महराजगंज